10. 5207/5208 अमृतसर-बरौनी एक्सप्रेस
11. 5045/5046 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस
12. 8101/8102 अमृतसर-हटिया/टाटा एक्सप्रेस
13. 2303-2381/2304-2382 ए० सी० एक्सप्रेस
14. 3039/3040 दिल्ली-हवड़ा जनता एक्सप्रेस
15. 5063/5064 अवध एक्सप्रेस
16. एसी/2 एसी आगरा केंट-कानपुर पैसेंजर
17. 3 एसी/4एसी आगरा केंट-कानपुर पैसेंजर
18. एसके/2 एसके शिकोहाबाद-कानपुर पैसेंजर

इटावा में न ठहरने वाली गाड़ियों की सूची

1. 2815/1816 नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस
2. 8475/8476 नीलाचल एक्सप्रेस
3. 2003-2004 शताब्दी एक्सप्रेस
4. 2301/2302 राजधानी एक्सप्रेस
5. 2417/2418 प्रयागराज एक्सप्रेस
6. 2455/2456 ब्रह्मपुत्र मेल
7. 2553/2554 वैशाली एक्सप्रेस
8. 2391/2392 मगध विक्रम शिला एक्सप्रेस

रेल में कंप्यूटरों का उपयोग

3480. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय के अधीन विभिन्न उपक्रमों/बोर्डों तथा अन्य कार्यालयों द्वारा खरीदे गये कंप्यूटर खराब हालत में पड़े हैं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण इन कंप्यूटरों का उपयोग नहीं हो पा रहा है और यदि हां, तो इसका संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने कंप्यूटर खरीदे गये और संगठनवार उस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) कितने कर्मचारियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल दुर्घटनाएं

3481. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 1992 के महीने में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं साथ ही इन दुर्घटनाओं के स्थानों और तिथियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण हुए जान और माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है और उनमें कितने लोग घायल हुये;

(ग) इन दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कितने राशि दी गई और बाद में दम तोड़ने वाले घायलों के निकट संबंधियों को कितनी राशि दी गई और क्या उक्त राशि उन्हें पहले ही दी जा चुकी है;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) नवम्बर, 1992 के महीने के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर 38 दुर्घटनाएं हुईं। रेलवे-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	1
पूर्व	7
उत्तर	5
पूर्वोत्तर	3
पूर्वोत्तर सीमा	2
दक्षिण	6
दक्षिण मध्य	3
दक्षिण पूर्व	7
पश्चिम	4
	38

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप 34 व्यक्तियों की जानें गईं और 62 व्यक्ति घायल हुए। रेल सम्पत्ति को लगभग 4 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। बहरहाल, अनुग्रह के रूप में 1,33,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण नीचे दिये गये हैं:—

रेल कर्मचारियों की गलती	—	15
उपकरों की खराबी	—	10
रेल कर्मचारियों से भिन्न	—	4
अन्य कारण	—	9

(ङ) दुर्घटनाएं कम करने के लिये किये गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं:—

1. मानवीय तत्व ही सहायता के लिये तकनीकी उपकरण लगाना।
2. गतायु परिसम्पत्तियों विशेषकर रेलपथ, पुल और चल स्टाक के नवीकरण और पुनःस्थापन पर निरंतर बल देना।
3. कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना।
4. दूरसंचार गियरों, सवारी और माल डिब्बों तथा रेल इंजनों के अनुरक्षण डिपुओं का गहन निरीक्षण करना।
5. नाजुक संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों यथा ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों आदि के कार्य-निष्पादन पर नजर रखना।
6. परिचालनिक कोटियों में कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक जांच सहित गहन प्रशिक्षण देना।
7. यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने की अचानक जांच करना।
8. बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर सीटी बोर्डों और गति अवरोधकों की व्यवस्था करना तथा सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी ड्राइवरों की दृष्यता में सुधार करना।
9. समपारों पर एहतियात बरते जाने के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिये दूरदर्शन और रेडियो सहित प्रचार माध्यमों के जरिये शैक्षणिक अभियान चलाना।
10. मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिये राज्य सरकारों के समन्वय से संयुक्त जांच करना।

Overcrowding on Platforms of Old Delhi Railway Station

3482. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Goverment are aware of overcrowding on the platforms of Old Delhi Railway Station especially during peak hours of arrival/departure of trains;

(b) whether a number of persons are found sleeping on platforms with their *luggage making it difficult for passengers* to get in or come out from the trains; and

(c) if so, what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) Due to usage of Old Delhi station by nearly 1.25 lakh persons per day and grouping of trains during morning and evening hours, there is overcrowding of platforms at the station during rush hours. Cases of persons sleeping on the platforms have also come to notice.

(c) The following steps have been taken to avoid overcrowding at Old Delhi station:—

(1) The entry gates are checked by ticket checking staff to prevent entry of unauthorised persons.

(2) Special Task Force Group checks the platforms regularly to apprehend the unauthorised persons.

(3) Public are advised and educated to visit railway platforms only when absolutely necessary. This is being done through regular announcements and advertisements in news papers and on Doordarshan.

(4) Platform Inspectors and other railway staff ensure that passengers luggage or squatting / sleeping passengers